

न्यायालय :- प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 , बडवानी, म.प्र.

(पीठासीन अधिकारी:- मनोज कुमार गोयल)

Regular Civil Suit-A No. 1400037/2016

Date of Institution- 05-10-2016

1. उमर खान, पिता दिलदार खान, आयु-23 वर्ष,
धन्धा-वकालत, निवासी- जुम्मा मस्जिद के पास,
बडवानी तहसील व जिला बडवानी, म.प्र.

.....वादी / आवेदक

विरुद्ध

1. मुस्तफा पिता जफरुद्दीन शेख, आयु- 23 वर्ष, धन्धा-व्यापार,
निवासी मैन रोड पलसुद, तहसील राजपुर, जिला बडवानी,
2. राजा हातिम पिता जफरुद्दीन शेख, आयु-21 वर्ष, धन्धा
वकालत, निवासी- मैन रोड पलसुद, तहसील राजपुर,
जिला बडवानी, म.प्र.
3. खुरशीद बी पति जफरुद्दीन शेख, आयु 62 वर्ष
धन्धा-गृहकार्य, निवासी- मैन रोड पलसुद, तहसील
राजपुर, जिला बडवानी, म.प्र.

.....प्रतिवादीगण / अनावेदक

(आदेश)

(आज दिनांक 17.04.2017 को पारित किया गया)

1. इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39, नियम 1 एवं 2 सी.पी.सी. (आई.ए.नंबर 1), दिनांक 05.10.16 का निराकरण किया जा रहा है।
2. प्रस्तुत आवेदन में आवेदक/वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि नगर बडवानी मे देवीसिंग मार्ग पर गली नंबर 5 पर एक भूखण्ड स्थित है जो पूर्व से पश्चिम 28 फीट चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण 45 फीट लम्बा है जो कि नगर पालिका में 195/1 बी पर दर्ज है, जिस पर समय-समय पर वादी के द्वारा निर्माण करवाया गया है तथा ट्यूबवेल खुदवाया गया है तथा वर्तमान में उक्त प्लॉट पर वादी द्वारा निर्मित कोटार भी स्थित है, जिसमें लोहे की तीन दरवाजे लगे हुए है तथा उपर नालीदार पत्रे लगे हुए है । प्रतिवादीगण द्वारा षडयंत्र के फलस्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 28.03.12 को एक फर्जी विक्रय पत्र तैयार करके उक्त प्लॉट को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को विक्रय कर दिया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 3 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने नगर पालिका बडवानी में अपना मालिक के नाम के हैसियत से दर्ज करवा लिया है जिसकी नामांकरण की दाखला असल वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वादी/आवेदक द्वारा यह भी

अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 का कभी वादग्रस्त प्लॉट पर कब्जा एवं स्वत्व नहीं हुआ है। तथा उसने 2012 तक कभी भी न तो अपना स्वत्व जताया और न ही नगर पालिका में नामांतरण करवाया जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को भी उक्त प्लॉट पर कभी भी कोई कब्जा तथ स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा यह भी अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादग्रस्त भूखंड पर कब्जा करना चाहते हैं तथा उसके द्वारा किए गए निर्माण को नष्ट करके उक्त संपत्ति को असामाजिक तत्वों को या भू-माफिया को कम कीमत पर बेचने की फिराक में है जिस संबंधी प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं। उक्त के आलोक में वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा न दी गई हो तो प्रतिवादीगण उक्त संपत्ति को नुकसान पहुंचायेगें जिस कारण मल्टीफेरियसनेस सूट होगा। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा की सहायता चाही है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को न नष्ट करे, न उस पर कब्जा करें, तथा न ही किसी अन्य के माध्यम से करवाए एवं वादग्रस्त संपत्ति को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरित न करें। वादी की ओर से उक्त आवेदन के साथ उसका शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

3. इस आवेदन का उत्तर देते हुए प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा उक्त आवेदन में किए गए सभी अभिवचनों को असत्य होकर अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि नगर पालिका बडवानी के रिकार्ड में प्रतिवादी क्रमांक 3 के नाम से वादग्रस्त संपत्ति दर्ज करवाने हेतु नामांतरण की संपूर्ण कार्यवाही वादी द्वारा ही करवाई गई थी जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर के साथ प्रतिवादी क्रमांक 3 के दिनांक 07.08.2008 तथा 15.12.2010 के शपथपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं जिसमें शपथग्रहता प्रतिवादी क्रमांक 3 के प्रति पहचानकर्ता के तौर पर स्वयं वादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं अतः वादी को वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रतिवादीगणों के स्वत्व एवं आधिपत्य की जानकारी रही होना बताया है। अतः उक्त के आधार पर निवेदन किया कि यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रतिवादीगणों के आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि के उपयोग एवं उपभोग में उन्हें बाधा उत्पन्न होगी। अतः उक्त के आलोक में वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण मे निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है:-

- 1- क्या वादी का मामला प्रथम दृष्टया उसके पक्ष मे है?
- 2- क्या मामले का सुविधा संतुलन वादी के पक्ष मे है?
- 3- क्या वादी को अपूर्ण क्षति होने की संभावना है?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 पर विवेचना एवं निष्कर्ष:-

5. उक्त आवेदन के निराकरण के लिए सर्वप्रथम यह देखना है कि

क्या वादी का वाद प्रथम दृष्टया सदृढ़ है। प्रथम दृष्टया सदृढ़ से तात्पर्य है कि वादी का मामला प्रथम दृष्टया ऐसा होना चाहिए जिसमें जाँच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सके तथा उसमें वादी के विजयी होने की प्रबल संभावना हो। उक्त सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा वादपत्र के साथ दिनांक 04.02.1988 का वादग्रस्त भूमि संबंधित असल विक्रय पत्र, सरदार बी का असल मृत्यु प्रमाण पत्र, विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नगर पालिका बडवानी द्वारा जारी वादग्रस्त भूखंड का असल दाखला, दिनांक 07.10.2013 तथा दिनांक 04.08.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए नोटिसों की छायाप्रति तथा उक्त नोटिस दिनांक 07.10.2013 का दिया गया जवाब असल, नोटिस दिनांक 08.08.2016 का वादी द्वारा दिए गए जवाब की छायाप्रति, तथा उक्त नोटिस के जवाब दिनांक 08.08.16 की पोस्टल रसीद असल दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादी की ओर से उसके समर्थन में वादोत्तर के साथ दिनांक 25.02.12 का नगर पालिका बडवानी का प्रतिवादी क्रमांक 3 का दाखला खारिज प्रमाण पत्र की प्रमाणित पत्र प्रतिलिपि, वादग्रस्त भूमि के नामांतरण आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय पत्र दिनांक 04.02.1988 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि संबंधी नामांतरण कार्यवाही में दिए गए शपथ पत्र दिनांक 30.07.2008 तथा 15.12.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नगर पालिका बडवानी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर नामांतरण हेतु जारी विज्ञापित दिनांक 25.08.16 की प्रमाणित प्रतिलिपि, वादी को नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस दिनांक 30.11.2016 तथा उसके द्वारा दिए गए जवाब दिनांक 19.11.2013 की सत्यप्रतिलिपि, वादग्रस्त संपत्ति के विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2012 के साथ उक्त संपत्ति के कलर फोटो तथा उपपंजीयक बडवानी की मौका स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

6. आवेदक/वादी की ओर से मौखिक तथा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि पर 1988 से उसका कब्जा होना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा है जिसके संबंध में उसने प्रतिवादीगण द्वारा उसे दिनांक 07.10.2013 तथा दिनांक 04.08.2016 को दिए गए नोटिसों को आधार माना है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से उस द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का कहा है। आवेदक/वादी द्वारा तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि 1994 में सरदार बी की मृत्यु के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि की मालिक प्रतिवादी क्रमांक 3 नहीं बन गई थी बल्कि उक्त संपत्ति मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के नियमों अनुसार मात्र 1/2 भाग प्रतिवादी क्रमांक 3 को जाना था। अतः प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा गलत तरीके से सारी वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया है। वादी के उक्त तर्क के संबंध में यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अस्थायी व्यादेश के आवेदन का निराकरण करते समय आवेदक/वादी द्वारा उठाए गए उक्त बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा उक्त वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय करने की अधिकारिता के संबंध में तथा उसे

उक्त वादग्रस्त भूमि में से मुस्लिम विधि अनुसार कितना हिस्सा आना था इस संबंधी विचारण दौरान साक्ष्य के आधार पर ही कोई मत दिया जा सकता है।

7. वादी /आवेदक द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि उसने वादग्रस्त भूमि पर ट्यूबवेल खुदवाया था जिसका जिक्र 2012 के विक्रय पत्र में भी है। उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर स्थित ट्यूबवेल वादी द्वारा ही खुदवाया गया था क्योंकि इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से तर्क रहा है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी भी स्वत्व एवं प्रतिवादी कं. 3 का स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं रहा बल्कि उस पर प्रतिवादी क्रमांक 3 का स्वत्व एवं आधिपत्य रहा है जिस आधार पर उसके द्वारा 2010 में उक्त वादग्रस्त भूमि का नगर पालिका बड़वानी में उसके नाम, नामांतरण भी करवाया गया है। उक्त के संबंध में प्रतिवादी का तर्क है कि नामांतरण की कार्यवाही में स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादी कं. 3 के शपथ पत्र को हस्ताक्षर कर तस्दीक किया था, जिसे वादी द्वारा तर्क के दौरान मना भी नहीं किया गया है। उक्त शपथ पत्र के संबंध में वादी का तर्क है कि शपथ पत्र को दस्तावेज के रूप में प्रदर्श कर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत कालूसिंग तथा अन्य विरुद्ध श्रीमती निर्मला तथा अन्य आय.एल.आर. 2016 एम.450 पेश किया है। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के आवेदन का निराकरण करते समय वादी का मामला प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है तथा प्रतिवादी कं. 3 द्वारा उक्त शपथ पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्रदर्श कर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा रहा है। अतः इसलिए उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत से वादी/आवेदक को इस स्टेज पर कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि उक्त न्यायदृष्टांत शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में प्रदर्श कर ग्राह्य न करने के संबंध में है।

8. प्रतिवादीगण की ओर से तर्क किया गया है कि वादी का स्वयं का आचरण ऐसा रहा है कि उसने स्वयं ने वादग्रस्त भूमि का नामांतरण प्रतिवादी कं. 3 के नाम कराया है जिस कारण तब से प्रतिवादी कं. 3 वादग्रस्त भूमि की स्वत्व एवं आधिपत्यधारी थी जिसे उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2012 से विधिवत रूप से प्रतिवादी कं. 1 व 2 को विक्रय किया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से यह व्यक्त किया है कि वर्ष 2010 में नामांतरण कार्यवाही दौरान ही वादी को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं. 3 के स्वत्व एवं कब्जे की होकर उसके नाम नगर पालिका बड़वानी में नामांतरण होना पता लग गया था परंतु फिर भी उसने वर्ष 2016 में सदर वाद प्रस्तुत किया जो कि अवधि बाधित है जिससे यह भी स्पष्ट है कि वादी स्वयं साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है तथा उसका पूर्व आचरण ऐसा रहा है जो प्रमाणित करता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी भी वादी का स्वत्व एवं कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि अस्थायी व्यादेश का आदेश पारित करते समय न्यायालय को मुख्य तीन बिंदुओं के अलावा पक्षकारों का आचरण भी देखना चाहिए जिस संबंधी न्यायदृष्टांत मंडली

रंगन्ना तथा अन्य विरुद्ध टी.रामचंद्र तथा अन्य ए.आय.आर. 2008 एस.सी. 2291 प्रस्तुत किया है। उक्त न्यायदृष्टांत के पैरा 18 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जो पक्षकार काफी समय तक चुप रहता है तथा दूसरे पक्षकार व्यक्ति को संपत्ति इस्तेमाल करने संबंधी अनुज्ञा देता है तो ऐसा पक्षकार किसी भी प्रकार से अस्थायी व्यादेश पाने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमरसिंह विरुद्ध यूनियन आफ इण्डिया (2011) 7 एस.सी.सी. 69. अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि व्यादेश एक साम्य पूर्ण अनुतोष है और जो पक्ष ऐसा अनुतोष चाहता है उसे स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत विन्ध्या टेलीलिंक्स विरुद्ध स्टेट बैंक आफ इण्डिया, 1995 जे.एल.जे. 608(डी.बी.) में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अस्थायी व्यादेश के प्रक्रम पर भी प्रथम दृष्टया मामलों पर विचार करते समय वाद की प्रचलनशीलता देखी जा सकती है। उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में तथा वादी के उक्त आचरण के आलोक में प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वादी द्वारा स्वयं नामांतरण की कार्यवाही में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं. 3 के पक्ष में होने के बाद लम्बे समय तक उक्त वादग्रस्त भूमि को प्राप्त करने संबंधी कोई प्रयत्न नहीं किया गया है बल्कि वर्ष 2016 में सदर वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विलंब से पेश किया जाना दर्शित है।

9. वादी/आवेदक की ओर से उसके आवेदन के संबंध में यह तर्क भी किया गया है कि भले ही वर्ष 2012 से पहले उसका कब्जा वादग्रस्त भूमि पर न माना गया हो परंतु उसके पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं नोटिस दिनांक 07.10.13 तथा दिनांक 04.08.16 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी का अतिक्रमण स्वीकार करते हुए कब्जा माना है तथा इसी कारण उनके द्वारा प्रकरण में काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण का तर्क है कि वादी स्वयं साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आया तथा उसका वाद भी निरस्त योग्य है। जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी/आवेदक का अतिक्रमण स्वीकार करने का प्रश्न है इस संबंध में न्यायदृष्टांत कमलसिंह विरुद्ध जयरामसिंह, 1986(1) एम.पी.डब्ल्यू एम., 116 अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि निषेधाज्ञा के माध्यम से अतिक्रमण का आधिपत्य सुरक्षित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक साम्यपूर्ण अनुतोष है। अतः इसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए।

10. वादी/आवेदक की ओर से प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में प्रमाणित करने के लिए न्यायदृष्टांत रामकिशन विरुद्ध रामपाल, 1992 (1) एम.पी.विकली नोट 275, शाहिदा(श्रीमती) तथा अन्य विरुद्ध मोहम्मद महमुद तथा अन्य, आय.एल.आर.(2011) एम.पी.2004, भी प्रस्तुत किए हैं जो कि वादग्रस्त संपत्ति पर वादी के 3-4 साल तक शांतिपूर्ण तथा स्थापित कब्जा रहने के आधार पर उसके पक्ष में अस्थाई

व्यादेश पारित होने से तथा मुस्लिम विधि अनुसार उत्तराधिकार पश्चात भूमि प्राप्त होकर उत्तराधिकारियों को टेनेंट इन कॉमन के रूप में भूमि प्राप्त होने से संबंधित है। उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रथम दृष्टया प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा अतिक्रमक के रूप में होना बताया है तथा इस संबंधी प्रतिवादीगण द्वारा उसे दिए गए नोटिसों को आधार माना है। इस प्रकार यदि यह मान भी लिया जाए कि उसका अतिक्रमक के रूप में वर्ष 2012 के विक्रय पत्र पश्चात वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है परंतु इसे स्थापित तथा शांतिपूर्ण कब्जा नहीं माना जा सकता क्योंकि वादी/आवेदक द्वारा स्वयं तर्क किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसे नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। अतः उक्त न्यायदृष्टांत से वादी/आवेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11. आवेदक द्वारा विकल्प में यह भी तर्क किया गया है उसने वादग्रस्त सम्पत्ति वर्ष 1988 में उसकी विधवा बहन को उसके परिवार के सदस्य के रूप में मानते हुए ट्रस्ट के रूप में क्रय की थी जिसकी उसकी बहन सरदार बी ट्रस्टी थी, तथा उसकी बहन सरदार बी की वर्ष 1994 में मृत्यु के पश्चात भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 की धारा-70 अनुसार ट्रस्टी का ऑफिस खाली हो चुका है तथा उसके पश्चात वह ही वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी/आवेदक द्वारा इस संबंध में न्यायदृष्टांत पी.वी.शंकरा कुरु विरुद्ध लीलावती नंबीयार, ए.आई. आर 1994 ए.सी. 2694 प्रस्तुत किया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा उक्त संपत्ति उसकी बहन के नाम से खरीदी गई थी जो कि उसकी बहन सरदार बी की मृत्यु के पश्चात बेनामी संपत्ति न रहकर वादी की संपत्ति हो गई है। प्रतिवादीगण की ओर से तर्क किया गया है कि यदि वादी द्वारा उसकी बहन सरदार बी को ट्रस्टी बनाकर वादग्रस्त संपत्ति क्रय की गई थी तो उसके द्वारा 1994 में सरदार बी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि के नामांतरण के कार्यवाही उसके नाम क्यों नहीं करवाई गई। वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत के तथ्य सदर प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है इसलिए इसमें प्रतिपादित सिद्धांत सदर प्रकरण में लागू नहीं होता है। सदर प्रकरण में वादग्रस्त संपत्ति के बेनामी संपत्ति होने संबंधी या उक्त संपत्ति ट्रस्ट संपत्ति के तौर पर क्रय किए जाने संबंधी प्रश्नों का निराकरण विचारण दौरान साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है अतः उक्त तर्क से वादी को इस स्टेज पर कोई लाभ होना दर्शित नहीं है।

12. प्रतिवादी की ओर से मौखिक तर्क प्रस्तुत करते समय न्यायदृष्टांत कालीबाई विरुद्ध अयोध्या सिंह, 1984 एम.पी. विकली नोट 238 पेज प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के अस्थाई व्यादेश के आदेश को सही माना है क्योंकि प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हो चुका था तथा वादी द्वारा सिलिंग केस में दिए शपथ पत्रों में जो सहमति की गई थी वो प्रतिवादी के पक्ष में थी। सदर प्रकरण में भी नामांतरण की कार्यवाही दौरान आवेदक/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का

नामांतरण प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में होते समय प्रथम दृष्टया शपथपत्रों दिनांक 30.07.2008 तथा 15.12.2010 पर वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 की पहचान करना दर्शित है अर्थात् प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में नगरपालिका बडवानी में नामांतरण के समय वादी द्वारा सहमति दिया जाना दर्शित है।

13. जहाँ तक काउंटर क्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा चाही गई सहायता के आलोक में वादग्रस्त भूमि के आधे भाग पर वादी का कब्जा स्वीकार किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में काउंटर क्लेम का अवलोकन करने पर यह कहीं भी दर्शित नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड का वादी का कब्जा स्वीकार किया गया है बल्कि उनके द्वारा काउंटर अनुतोष के रूप में वादी के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि के लगभग 14 गुणित 45 फीट पर खुले भाग पर वादी द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने का प्रयास करने पर उक्त के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है। अतः तथ्यों के एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी की ओर से किया गया तर्क उसका वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है जिस कारण प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही है, स्वीकार योग्य नहीं है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा न्यायदृष्टान्तों एवं दस्तावेजों के आलोक में वादी का मामला वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सदृढ नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 पर विवेचना एवं निष्कर्ष:-

15. सुविधा के संतुलन सिद्धांत का अर्थ है कि अस्थायी निषेधाज्ञा देने या न देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी। अतः उक्त विवेचना के आलोक में जहाँ वाद प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में नहीं पाया गया है वहाँ सुविधा के संतुलन के सिद्धांत के संबंध में प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि वादी के पक्ष में अस्थायी व्यादेश का आदेश पारित किया जाता है तो वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण के उपयोग एवं उपभोग प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त व्यादेश पारित करने पर प्रतिवादीगण को अधिक असुविधा होना प्रथम दृष्टया दर्शित है। अतः उक्त के आलोक में सुविधा का संतुलन सिद्धांत भी वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। जहाँ तक अस्थायी व्यादेश पारित न करने पर वादी को होने वाली क्षति का प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व विवेचना में वादी प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पर उसका स्थापित आधिपत्य प्रमाणित नहीं कर पाया है इसलिए अस्थायी व्यादेश उसके पक्ष में पारित न करने पर उसे किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना भी दर्शित नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, तीनों विचारणीय प्रश्न वादी के पक्ष में नहीं पाए जाने के कारण उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी., (आई.ए.नंबर 1) स्वीकार योग्य न होने के कारण

निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर, घोषित किया गया।

(मनोज कुमार गोयल)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बड़वानी जिला बड़वानी

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया

(मनोज कुमार गोयल)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बड़वानी जिला बड़वानी